

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

एमएम कुमार और जसवंत सिंह माननीय न्यायमूर्ति से समक्ष

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8247

22 जुलाई, 2009

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 - धारा 20 और 21 - रिफंड राशि के भुगतान के लिए आवेदन दाखिल करने वाली कंपनी - आयुक्त धारा 21 (2) के तहत आवश्यक 90 दिनों के भीतर रिफंड रोकने का आदेश पारित करने में विफल रहता है - रिफंड राशि का भुगतान 90 दिनों की अवधि की समाप्ति पर किया जाना आवश्यक है - कंपनी को रिफंड राशि पर धारा 20 (10) के तहत साधारण ब्याज का भी हकदार माना जाता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि रिफंड के लिए आवेदन पर आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा अधिकतम 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में मूल्यांकन आदेश 12 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था। कंपनी द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 को अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। लिखित वक्तव्य के पैरा 2 के अनुसार, उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने दिनांक 29 जनवरी, 2009 के पत्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 21 के तहत रिफंड रोकने के लिए आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा को पत्र लिखा था और आबकारी और कराधान आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा था। की गई जानकारी के अनुसार, उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने रिफंड रोकने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए अनुस्मारक भेजे थे, जो 9 जून, 2009 को प्राप्त हुए थे। यदि उपर्युक्त अवधि को 29 जनवरी, 2009 को संदर्भ देने की तारीख से गिना जाए तो अप्रैल/मई, 2009 में संविधि द्वारा निर्धारित 90 दिनों की अधिकतम अवधि समाप्त हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि रिफंड का आदेश 9 जून, 2009 को पारित किया गया था, जो साढ़े चार महीने से अधिक की अवधि के बाद है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के परंतुक लागू होंगे और रिफंड राशि का भुगतान 90 दिनों की अवधि की समाप्ति पर किया जाना आवश्यक था।

इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा I के तहत 12 दिसंबर 2008 के मूल्यांकन आदेश में तैयार की गई राशि पर प्रति माह 1% साधारण ब्याज की हकदार होगी।

(Para 10)

याचिकाकर्ता की ओर से कमल सहगल, एडवोकेट:

उत्तरदाताओं के लिए सुश्री रितु बहरी डीएजी हरियाणा.

निर्णय

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति .

(1) याचिकाकर्ता-कंपनी (संक्षेप में कंपनी) ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित 12 दिसंबर, 2008 के मूल्यांकन आदेश (अनुबंध पी-1) के अनुसार प्रतिवादियों को आकलन वर्ष 2005-2006 के संबंध में 15,65,88 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20 की उप-धारा (10) के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक ब्याज का भी दावा किया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आकलन अधिकारी द्वारा आकलन वर्ष 2005-2006 के संबंध में 12 दिसंबर, 2008 (पी-आई) के अपने मूल्यांकन आदेश में 'कंपनी' को 15,65,888 रुपये की रिफंड राशि देय पाई गई थी। कंपनी ने 24 दिसंबर, 2008 को कर निर्धारण अधिकारी (पी-2) के समक्ष अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिन्होंने अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत आयुक्त को आवेदन भेजा। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार आयुक्त को रिफंड रोकने का आदेश पारित करने का अधिकार है। लेकिन इस तरह के आदेश को संदर्भ आदेश की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर पारित किया जाना है। यदि आयुक्त द्वारा रिफंड रोकने का आदेश उन्हें संदर्भ देने के 90 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में संलग्न परंतुक के अनुसार, राजस्व रिफंड का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह रिकॉर्ड पर आया है कि संदर्भ 29 जनवरी, 2009 को दिया गया था और अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) की आवश्यकता के अनुसार 90 दिनों की अवधि के भीतर रिफंड को

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और इसलिए, यह दावा किया गया है कि रिफंड की राशि कंपनी को तुरंत भुगतान की जानी थी। रिफंड करने में देरी के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (10) के तहत ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो मूल्यांकन आदेश में तय की गई राशि पर प्रति माह @ 1% होगा।

(3) प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में, व्यापक तथ्यात्मक स्थिति विवादित नहीं है। यह बताया गया है कि उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकरण, पंचकूला ने अधिनियम की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जनवरी, 2009 को पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की। दावा है कि उन्होंने आबकारी एवं कराधान आयुक्त को पत्र लिखा था। हरियाणा ने अधिनियम की धारा 21 के तहत रिफंड रोकने के लिए दिनांक 29 जनवरी, 2009 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे रिफंड रोकने के अनुरोध के साथ विधिवत रूप से भेज दिया गया था। रिफंड रोकने का आदेश बाद में 9 जून को प्राप्त हुआ। इस बीच अधिनियम की धारा 34 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 1 जून, 2009 के आदेश द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिया था, जिसके तहत 52,028 रुपये की वापसी की अनुमति दी गई थी और तदनुसार 2 जून 2009 को रिफंड वाउचर जारी किया गया था। यह आदेश 2 जून 2009 (आर-2/1) को डीलर को विधिवत दिया गया था। यह दावा किया जाता है कि तत्काल याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह निरर्थक होगई है।

(4) कंपनी के वकील कमल सहगल ने दलील दी है कि 29 जनवरी, 2009 को संदर्भ देने के बाद 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के दिन कंपनी को रिफंड की राशि देय हो गई है। उन्होंने बताया है कि 90 दिनों की अवधि अप्रैल 2009 में समाप्त हो गई थी और रिफंड रोकने का आदेश 9 जून 2009 को पारित किया गया था, जो 90 दिनों की वैधानिक अवधि से बहुत अधिक है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में संलग्न परंतुक के अनुसार, यदि 90 दिनों के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो रिफंड की राशि का भुगतान कंपनी को तुरंत किया जाना चाहिए। श्री सहगल ने यह भी तर्क दिया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (10) के तहत 12 दिसंबर, 2008 के आकलन आदेश में निर्धारित राशि पर @ 1% प्रति माह ब्याज की हकदार होगी।

(5) हालांकि, राज्य की वकील सुश्री रितु बाहरी ने प्रस्तुत किया है कि 1 जून, 2009 के पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, 'कंपनी' को 52,028 रुपये का रिफंड किया गया है। 'कंपनी' के

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचा है क्योंकि याचिका अब निरर्थक हो गई है। उन्होंने दलील दी है कि अधिक से अधिक कंपनी को वास्तविक रिफंड राशि पर ब्याज दिया जा सकता है।

(6) इस याचिका में उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए, पहले अधिनियम की धारा 20 की उप-धाराओं (4) और (10) के प्रावधानों को पढ़ना उचित होगा, जो इस प्रकार है:—

"20 धनवापसी

(1) (3) ** **

(4) जहां कर निर्धारण प्राधिकारी किसी डीलर के आकलन पर पाता है कि उसने इस अधिनियम के तहत उस पर आकलित या लगाए गए कर, ब्याज या जुर्माने से अधिक राशि का भुगतान किया है, तो वह अतिरिक्त राशि की वापसी की अनुमति देगा या भविष्य की कर देयता के साथ समायोजन के लिए इसे आगे बढ़ाने की अनुमति देगा, जैसा भी मामला हो।

(5)से (9)*****

(10) उपधारा (4) के अधीन डीलर को देय कोई भी राशि, जो धनवापसी की अनुमति देने वाले आदेश पारित करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उसे वापस नहीं की गई है, उसके साथ आदेश पारित करने की तारीख से लेकर धनवापसी की तारीख तक की अवधि के लिए प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज होगा। "

(7) अधिनियम की धारा 20 की योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, उप-धारा (4) के माध्यम से यह है कि जब कोई आकलन प्राधिकारी मूल्यांकन के बाद पाता है कि किसी डीलर ने अधिनियम के तहत मूल्यांकन या लगाए गए कर, ब्याज या जुर्माने से अधिक राशि का भुगतान किया है, तो मूल्यांकन प्राधिकारी को अतिरिक्त राशि की वापसी की अनुमति देनी चाहिए या वह इसे भविष्य की कर देयता के साथ समायोजन के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से किए गए निर्धारित दस्तावेजों के साथ निर्धारित विवरण वाले आवेदन पर डीलर को राशि वापस की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को वापसी योग्य राशि निर्धारित प्राधिकारी के निर्धारित

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

तरीके से अनुमोदन के अधीन की गई है, जो प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद लिखित में आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। हालांकि, धारा 20 की उप-धारा (4) को उप-धारा (10) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उप-धारा (4) के तहत डीलर को देय कोई भी राशि, जिसे आदेश पारित करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिफंड के साथ वापस नहीं किया गया है, को रिफंड के साथ आदेश पारित करने की तारीख से लेकर 1% प्रति माह का साधारण ब्याज @ 1% प्रति माह होना चाहिए। धनवापसी की जाती है।

(8) इस स्तर पर अधिनियम की धारा 21 का अवलोकन करना भी लाभप्रद होगा जो सक्षम प्राधिकारी को रिफंड रोकने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 21 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: —"धारा 21 रिफंड को रोकने की शक्ति

1. जहां रिफंड को जन्म देने वाला आदेश आगे की कार्यवाही का विषय है और ऐसी कार्यवाही की सफलता में रुचि रखने वाले कर प्राधिकरण की राय है कि रिफंड देने से ऐसी कार्यवाही की सफलता की स्थिति में वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, "रिफंड को रोक सकता है" और यदि ऐसा प्राधिकरण आयुक्त के रैंक से नीचे है, तो रिफंड के लिए आवेदन के तीस दिनों के भीतर मामले को आदेश के लिए आयुक्त के पास भेज देगा।

(2) यदि समय पर उपधारा (1) के तहत आयुक्त को कोई संदर्भ दिया गया है, तो वह या तो रिफंड रोकने का आदेश पारित कर सकता है या निर्देश दे सकता है कि इतनी ही राशि की नकद सुरक्षा को छोड़कर सुरक्षा प्रस्तुत करने पर रिफंड किया जाए या रिफंड को रोकने से इनकार किया जाए: बशर्ते कि यदि आयुक्त को संदर्भ देने के नब्बे दिनों के भीतर धनवापसी को रोकने का कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो रिफंड तुरंत दिया जाएगा। "

(9) अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (एल) के अनुसार, यदि कोई आदेश, जिसके परिणामस्वरूप रिफंड होता है, आगे की कार्यवाही का विषय है और सक्षम प्राधिकारी का विचार है कि रिफंड देने से ऐसी कार्यवाही की सफलता के मामले में वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो वह आवेदन के 30 दिनों की अवधि के भीतर कारणों को दर्ज करने के बाद रिफंड को रोक सकता है। अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत आयुक्त को किए गए संदर्भ पर वह या तो रिफंड को रोकने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य है या निर्देश देता है कि सुरक्षा प्रस्तुत करने पर रिफंड किया जाए। अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

परंतुक में कहा गया है कि रिफंड को रोकने का कोई आदेश 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है या आयुक्त को संदर्भित नहीं किया जाता है, तो रिफंड तुरंत दिया जाएगा।

(10) जब हम अधिनियम की धारा 20 और 21 के उपरोक्त प्रावधानों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा 90 दिनों की अधिकतम वैधानिक अवधि के भीतर रिफंड के लिए आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में मूल्यांकन आदेश 12 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था। कंपनी द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 को अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी (पीओ) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। लिखित बयान के पैरा 2 के अनुसार, उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने 29 जनवरी के पत्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 21 के तहत रिफंड रोकने के लिए आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा को लिखा था और आबकारी और कराधान आयुक्त हरियाणा ने स्पष्टीकरण मांगा था। दिए गए आदेश के अनुसार, उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने रिफंड रोकने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए अनुस्मारक भेजे थे, जो 9 जून को प्राप्त हुए थे, कानून द्वारा निर्धारित 90 दिनों की अधिकतम अवधि अप्रैल/मई 2009 में समाप्त हो गई थी, यदि उपरोक्त अवधि को 29 जनवरी को संदर्भ देने की तारीख में गिना जाता है, 2009. यह पेटेंट है कि धनवापसी का आदेश 9 जून को पारित किया गया था। 2009. जो 41/2 महीने से अधिक की अवधि के बाद है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के परंतुक लागू होंगे और रिफंड राशि का भुगतान 90 दिनों की अवधि की समाप्ति पर किया जाना अपेक्षित था। अतः कंपनी अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (10) के तहत 12 दिसंबर, 2008 के आकलन आदेश में निर्धारित राशि पर 1% प्रतिमाह साधारण ब्याज की हकदार होगी।

(11) इस स्तर पर, कंपनी के विद्वान वकील श्री सहगल एक उचित रुख अपनाते हैं कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने पैरा 3 (आर-2/एल) में किए गए कथन के अनुसार 2 जून, 2009 को एक आदेश पारित किया था और 52,028 रुपये की रिफंड राशि की अनुमति दी गई है। तदनुसार, उन्होंने कहा है कि ब्याज की गणना 1 जून तक की जा सकती है। 12 दिसंबर, 2008 के आकलन आदेश में देय रिफंड राशि और उसके बाद ब्याज की गणना पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा देय राशि पर की जानी चाहिए, उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्व के कारण पाई जाने वाली किसी भी राशि की गणना की जाने वाली ब्याज की कुल राशि से कटौती की जा सकती है और अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (10) के तहत याचिकाकर्ता को देय पाया जा सकता है।

मेसर्स न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(12) उपरोक्त चर्चाओं के बराबर यह याचिका सफल होती है। प्रतिवादियों को 12 दिसम्बर, 2008 के मूल मूल्यांकन आदेश में कंपनी को देय रिफंड की कुल राशि पर 1 जून, 2009 @ 1% प्रति माह तक ब्याज की राशि की गणना करने का निदेश दिया जाता है। अर्थात् 15.65.888 रुपये और 2 जून 2009 से भुगतान की तारीख तक पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा देय रिफंड पर समान दर पर। इसके बाद, इस तरह से गणना किए गए कुल ब्याज के साथ पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रिफंड राशि की कुल राशि का भुगतान इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने से 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। यदि राजस्व के कारण अभी भी कोई राशि पाई जा सकती है, तो उसे पहले से जारी निर्देशों के अनुसार गणना की जाने वाली रिफंड की कुल राशि और ब्याज में से कटौती की जाएगी। अधिनियम की धारा 21 (2) के स्पष्ट प्रावधान के वैधानिक उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए। उत्तरदाताओं को 20000 रुपये की लागत का बोझ दिया जाना चाहिए। प्रतिवादियों द्वारा कंपनी को पहली बार में राशि का भुगतान किया जाएगा जो उस अधिकारी से वसूल की जाएगी जिसने अधिनियम की धारा 21 (2) के परंतुक के अनुसार 90 दिनों की समाप्ति पर 12 दिसंबर 2008 के मूल्यांकन आदेश द्वारा निर्धारित रिफंड राशि जारी करने की अनुमति देने की अनदेखी करके प्रावधान का उल्लंघन किया है। तदनुसार, प्रतिवादी-राज्य को तुरंत जांच करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आबकारी एवं कराधान आयुक्त अपने कर्तव्यों में लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं तो उनसे राशि वसूल की जाएगी। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाए और उसके बाद एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी